



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 87-अ० प्र० (2अ) / पा० का० लि० / 2014

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	अरविन्द कुमार पाठक 81098, कानपुर, 30.06.2019	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, लखनऊ	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 एवं मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
2.	मोहित आर्य (पि० जाति) 81106, बांदा, 31.12.2016	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, मविविनिलि लखनऊ	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
3.	ज्ञान प्रकाश 81108, इलाहाबाद, 31.06.2015	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत संचार एवं संगणकीकरण परिकल्पना मण्डल, लखनऊ	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
4.	सत्येन्द्र कुमार राय 81109, गाजीपुर, 30.04.2015	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, पूर्विविनिलि वाराणसी	पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी
5.	सुरेश चन्द्र भारती (पि० जाति) 81112, देवरिया, 31.12.2018	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय निर्माण मण्डल-5 लेसा, लखनऊ	दक्षिणाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
6.	सत्यवीर सिंह राठौर 81113, एटा, 31.01.2017	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल आगरा	दक्षिणाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- आबण्टित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6- उपरोक्त आदेश दिनांक 01.10.2014 अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हों, से प्रभावी होंगे।

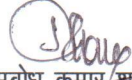
प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 87 -अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशन का0लि0।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,


(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव